कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर

पंचायत रोजगार सेवक का संविदा रद्द करने से संबंधित कार्यवाही का अभिलेख :--

तिथि	आदेश	आदेश अनुपालन का ब्यौरा
21/04/2016	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक--259570 दिनांक--23.01.2016 द्वारा निदेश प्राप्त हुआ था कि हड़ताल पर जाने के कारण बर्खास्त किये गये मनरेगा के वैसे पंचायत रोजगार सेवकों जिनके द्वारा सरकारी अभिलेख या सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचाया गया हो, एव जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा हो, को विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पुनर्नियोजित कर लिया जाए। प्राप्त निदेश के आलोक में जिलाधिकारी--सह--जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 490 दिनांक 11.02.2016 द्वारा श्री अजय कुमार को पंचायत रोजगार सेवक के पद पर पुर्ननियोजित करते हुए निदेशित किया गया था कि दो दिनों के अंदर प्रभार का आदान--प्रदान सुनिश्चित किया जाये । पुर्ननियोजन आदेश के अनुपालन में श्री अजय कुमार द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किया गया और न ही अभिकरण कार्यालय में एकरारनामा हेतु अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया गया । परिणामस्वरूप अभिकरण के ज्ञापांक 762 दिनांक 02.03.2016 से आवासीय पता पर निबंधित डाक से एक सप्ताह का समय देते हुए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए योगदान एवं एकरारनामा करने हेतु अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया । दिये गये निर्धारित समय समाप्ति उपरांत पुनः एक सप्ताह का समय और देते हुए श्री कुमार को अभिकरण के ज्ञापांक 1102 दिनांक 02.04.2016 से निदेशित किया गया । परंतु श्री कुमार द्वारा कोई पत्रोत्तर नहीं दिया गया । इस प्रकार श्री कुमार, पुर्ननियोजित पंचायत रोजगार सेवक का यह कृत संविदा पर हुए नियोजन के शर्तो के प्रतिकूल है, वरीय पदाधिकारियों तथा विभाग के आदेश की अवहेलना है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा तथा गरीब मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के समतुल्य है। अतः ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8574 दिनांक 22.09.2009 के कंडिका--02 के आलोक में मैं अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त--सह--अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, मुजफ्फरपुर श्री अजय कुमार, पिता-- श्री लखन राम, सरस्वती कॉलोनी, हिलसा, (पश्चिमी जेल के निकट), जिला--नालंदा, पिन--801302 जिनका रौल नम्बर--5578227 है, की संविदा/नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से रद्द किया जाता है। इस आदेश की प्रति संबंधित पंचायत रोजगार सेवक/ कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी --सह-- जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा तथा विभाग को भेजे। (लेखापित एवं संशोधित) उप विकास आयुक्त--सह-- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, मुजफ्फरपुर। उप विकास आयुक्त--सह-- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, मुजफ्फरपुर।	शून्य

ज्ञापांक : [illegible] / अभि0, मुज0 दिनांक– [illegible] /04/2016

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त (तिरहुत प्रमण्डल) मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकरी, कुढनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : कार्यक्रम पदाधिकरी, (मनरेगा), कुढनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अजय कुमार, पिता– श्री लखन राम, सरस्वती कॉलोनी, हिलसा, (पश्चिमी जेल के निकट), जिला–नालंदा, पिन– 801302 को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रभारी सहायक, मनरेगा, पश्चिमी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

उप विकास आयुक्त –सह–
अपर जिला कार्यकम समन्वयक
मनरेगा, मुजफ्फरपुर।